संख्या-109/2018/456/35-3-2018-1(38)/2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज ।

नियोजन अनुभाग- **3लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य निर्माण कार्र्यो हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदमहराजगंज में शासनादेश -5 0सं214/2018/52017/(38)1-2018-3-35/दिनांक 06फरवरी] द्वारा 2018चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य निर्माण कार्र्योहेतु रू.520.15 लाख .रू)पांच करोड़ बीस लाख पन्द्रह हजार (मात्र की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष, प्रथम किश्त के रूप में रू.312.09 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये पूर्व में सन्दर्भित शासनादेश के क्रमांक-1 एवं 2 पर अंकित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु अवशेष देय,**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में** रू.**23.19** लाख)रू. तेईस लाख उन्नीस हजार(मात्र की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की,श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	**प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन**	**केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि**	**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		कार्यदायी संस्था-आर.एन.एस.एस.			
नौतनवा	**1**	रतनपुर के सा0स्वा0 केन्द्र में बाउन्डरीवाल)ल.30 मी0) गेट) 4.50 मी.) लिंक रोड)ल.4.50 मी.गुना 2 मी.) बाहरी सीवरेज निर्माण कार्य	**50.34**	**30.20**	**20.14**
		कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0			
नौतनवा	**2**	प्रा0 स्वा केन्द्र नौतनवा में अस्पताल कीचहारदीवारी	**7.63**	**4.58**	**3.05**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		)ल0 9.50मी0)तथा गेट का निर्माण कार्य			
		योग	**57.97**	**34.78**	**23.19**

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक फरवरी 06, की शर्ते यथावत लागू रहेगी 2018।

2- जिलाधिकारी द्वारा दिवतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी सेचिकित्सा निर्माण से सम्बन्धित कार्योहेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से स्वीक़त लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तत डिजाइन/डराइग एवं तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त हेाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदरायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रो को आवश्यकतानुसानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकारण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीक़त कराया जायेगा।

स्वीकृत धनराशि के समक्ष हेाने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत संलग्नक में सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्ष में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-40लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्यमें लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-05-वन रक्षक चौकी एवं वन दरोगा आवास हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य से आदेश संख्या 814/ ई- 5-498/दस-2018 दिनांक 31 मार्च, 2018द्वारा पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5- 498(4)/दस-2018 दिनांक 31 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 109/2018/456(1)/ 35-3-2018-1(38)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम)लेखाएवं हकदारी (इलाहाबाद, उ0प्र 0महालेखाकार, लेखा परीक्षा)प्रथम एवं दवितीय (इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, महराजगंज ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ सहकारिता अनुभाग-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) गोरखपुर मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, महराजगंज ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।